सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 238 राँची ,शुक्रवार

2 ज्येष्ठ 1936 (श०)

23 मई, 2014 (ई०)

वित्त विभाग ।

संकल्प

21 मई, 2014

विषय: राज्य के सेवीवर्ग को स्वीकृत द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि की प्रक्रिया का सरलीकरण।

संख्या-वि.प्र. 6ए-14/2013/1775/वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 (कंडिका-11) एवं संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 8 फरवरी, 1999 (कंडिका-11) के आलोक में राज्य के सेवीवर्ग को कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि प्रशासी विभाग एवं प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से तथा द्वितीय काबलद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि वित्त विभाग के स्तर से कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि की तय सीमा 01 वर्ष रखी गयी थी, परन्तु व्यवहारिक रूप से पाया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के सम्पुष्टि के कई मामले सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने के पश्चात् कई वर्षों के बाद वित्त विभाग को प्रेषित किये जाते हैं, उदाहरणस्वरूप:-

(i) श्री श्याम सुन्दर मांझी, आशुटंकक/आशुलिपिक, गोड्डा दिनांक 31 जुलाई, 1998 को सेवानिवृत्त हुए। उनका द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के सम्पुष्टि का प्रस्ताव वित्त विभाग में जुलाई, 2012 को भेजा गया।

(ii) श्री सुरेश प्रसाद, सेवानिवृत्त अनुसेवक, बेरमो के प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति के 24 वर्ष बाद सम्पुष्टि का प्रस्ताव दिनांक 9 अप्रैल, 2013 को वित्त विभाग पृष्ठांकित किया गया।

(iii) स्व॰ मोहन लाल, ड्रेसर, धनबाद का द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि का प्रस्ताव 21 वर्ष बाद दिनांक 1 अगस्त, 2013 को वित्त विभाग प्रेषित किया गया।

(iv) श्री चैधरी दामोदर प्रसाद, सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक के द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के सम्पुष्टि का प्रस्ताव सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष के बाद दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को वित्त विभाग प्रेषित किया गया।

3. द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि में विलम्ब होने के कारण सेवानिवृत्त/ मृत कर्मी के सेवान्त लाभों के निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है, जिसके फलस्वरूप संबंधित कर्मी/उनके आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन कारणों से न्याय वादों के मामलों में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

4. इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा सभी विभागों को पत्र संख्या 3303/वि॰ दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 से निदेशित किया गया है कि एक अभियान चलाकर सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के कालबद्ध प्रोन्नति के सम्पुष्टि मामलों का निष्पादन दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।

5. द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि के प्रायः सभी मामले सेवानिवृत्त या मृत कर्मी के हैं। लम्बित मामलों के शीघ्र निष्पादन को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्पुष्टि की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

6. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सेवीवर्ग को स्वीकृत द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के स्तर से की जाय। शक्ति का प्रत्यायोजन तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। वेतन निर्धारण सक्षम स्तर से अनिवार्य रहेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 776/वि॰ दिनांक 3 मार्च, 2014 के क्रम में दिनांक 8 मई, 2014 की बैठक के मद सं॰ 17 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 238–50 ।